एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2424/2001

28.3.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री रजनीश गुप्ता, अधिवक्ता याची की ओर से।

याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याची लम्बे समय से उनके सम्पर्क में नहीं है तथा प्रयास करने के उपरान्त भी उनसे सम्पर्क नहीं किया जा सका है। ऐसा लगता है कि वे इस प्रकरण में रुचि नहीं रखते हैं। उनके इस कथन के परिपेक्ष्य में यह रिट याचिका इसी आधार पर निरस्त की जाती है।

मोहम्मद रफीक
न्यायाधिपति